

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4042/2025

प्रदीप कुमार सोलंकी

—अपीलार्थी

बनाम

सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	26.08.2025
सुनवाई की दिनांक	:	11.09.2025
आदेश की दिनांक	:	11.09.2025
अपीलार्थी की ओर से	:	श्री मुनेश भारद्वाज, अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रारंभ में अपीलार्थी को शिक्षक ग्रेड-III एल-1 के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद उन्हें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम कराई, ब्लॉक रूपबास, जिला भरतपुर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने 13.02.2019 को कार्यभार ग्रहण किया। बाद में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कराई, जहाँ अपीलार्थी कार्यरत था, को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कराई घोषित कर दिया गया, अतः अपीलार्थी को दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक-2) के आदेश द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेदाचोली, ब्लॉक नदबल, जिला भरतपुर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। उपरोक्त आदेश दिनांक 22.07.2025 के अनुसरण में, अपीलार्थी ने तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लिया और तत्पश्चात् दिनांक 24.07.2025 (अनुलग्नक-3) को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेदाचोली में कार्यभार ग्रहण कर लिया। उपरोक्त स्थानांतरण के पश्चात्, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने अपने आदेश दिनांक 06.08.2025 द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय की घोषणा के कारण अधिशेष कर्मचारियों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। उपरोक्त दिशानिर्देशों की शर्त संख्या 1 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अधिशेष कर्मचारी की शिकायतों (अभ्यावेदन) पर निर्णय लिया जाएगा। (अनुलग्नक-1) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांक 08.08.2025 को एक आदेश भी जारी किया गया, जिसके तहत शिकायतों पर निर्णय लेने की अंतिम तिथि को 12.08.2025 तक बढ़ा दिया गया। (अनुलग्नक-5) अपीलार्थी ने दिनांक 25.07.2025 के आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकारक की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुढ़ा डांग, ब्लॉक बयाना, जिला भरतपुर में स्थानांतरित किया जाकर और आगे, श्री योगेंद्र सिंह को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेदाचोली, ब्लॉक नदबई, जिला भरतपुर में स्थानांतरित किया जावे, पारस्परिक सहमति के उनके आवेदनों पर विचार करके, अपीलार्थी को बयाना ब्लॉक में अपीलकर्ता की इच्छानुसार किसी अन्य निकटवर्ती विद्यालय में स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया जावे, जिसमें सभी परिणामी लाभ शामिल हों।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष